राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांकः प.14(2082) बाढ/अतिवृष्टि/स्वी./सहा0/25/548 दिनांक : 17/10/25

—:: प्रशासनिक स्वीकृति आदेश ::—

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांकः एफ.8(10)आ.प्र. एवं सहा./बाढ/2025/ राजकाज 18168974 दिनांक 07.10.2025 द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 146/2025–26 के अनुक्रम में अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग खण्ड राजसमन्द ब्लॉक खमनोर के 10 कार्य हेतु राशि 19.00 लाख,अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग खण्ड राजसमन्द के ब्लॉक आमेट के 07 कार्य हेतु राशि 14.00 लाख,अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग खण्ड राजसमन्द ब्लॉक कुम्भलगढ/खमनोर के 10 कार्य हेतु राशि 20.00 लाख, अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग खण्ड राजसमन्द ब्लॉक भीम के 18 कार्य हेतु राशि 36.00 लाख एवं अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग राजसमन्द ब्लॉक देवगढ के 07 कार्य हेतु राशि 14.00 लाख कुल 52 कार्यो हेतु राशि रूपये 103.00 लाख (अक्षरे रूपये एक करोड़ तीन लाख मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है–

कार्यकारी विभाग–अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग,राजसमन्द

क.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त परियोजना का विवरण	(एसडीआरएफ नोर्म्स दर अनुसार मरम्मत हेतु स्वीकृति योग्य राशि (लाखो में)
		तहसील –भीम	
1	भीम	खतियान तालाब टैंक	2.00
2	भीम	राजवा रपट टेंक	2.00
3	भीम	कुशलपुरा टैंक	2.00
4	भीम	डांडी रपट टैंक	2.00

Validity unknown Signature valid
Digitally signed by A[illegible] Kumar Hasija
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.1[illegible]:17:34 IST
Reason: Approved

5	भीम	लालपुरा टैंक	2.00
6	भीम	देविसागर टैंक	2.00
7	भीम	ककेडिया टैंक	2.00
8	भीम	फूलसागर टैंक	2.00
9	भीम	मोड़ाकाकर टैंक	2.00
10	भीम	फुटेल टैंक	2.00
11	भीम	खारावाला टैंक	2.00
12	भीम	लाखागुडा टैंक	2.00
13	भीम	बग्गड़ टैंक	2.00
14	भीम	बड़ा तालाब टैंक	2.00
15	भीम	लक्ष्मीसागर टैंक	2.00
16	भीम	समेलिया टैंक	2.00
17	भीम	देहडिया टैंक	2.00
18	भीम	भूरियाभाटा टैंक	2.00
तहसील–देवगढ			
19	देवगढ	बाणिया हाटडी टैंक	2.00
20	देवगढ	घाटी टैंक	2.00
21	देवगढ	कनवेरा टैंक	2.00
22	देवगढ	रुपारेल टैंक	2.00
23	देवगढ	मौसम सागर टैंक	2.00
24	देवगढ	जीरण टैंक	[illegible]

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by A[illegible] Kumar Hasija
Designation : Colle[illegible] & District Magistrate
Date: 2025.10.1[illegible]3:17:34 IST
Reason: Approved

25	**देवगढ**	सांगावास टैंक	**2.00**
		तहसील–खमनोर	
26	**खमनोर**	बड़ाभाणुजा सिंचाई बांध परियोजना	**2.00**
27	**खमनोर**	गांवगुड़ा सिंचाई बांध परियोजना	**2.00**
28	**खमनोर**	सगरून सिंचाई बांध परियोजना	**2.00**
29	**खमनोर**	सलोदा सिंचाई बांध परियोजना	**2.00**
30	**खमनोर**	भैंसाकमेड सिंचाई बांध परियोजना	**2.00**
31	**खमनोर**	बड़ाभाणुजा सिंचाई नहरी परियोजना	**1.80**
32	**खमनोर**	गांवगुड़ा सिंचाई नहरी परियोजना	**1.80**
33	**खमनोर**	सगरून सिंचाई नहरी परियोजना	**1.80**
34	**खमनोर**	सलोदा सिंचाई नहरी परियोजना	**1.80**
35	**खमनोर**	भैंसाकमेड सिंचाई नहरी परियोजना	**1.80**
		तहसील–कुम्भलगढ	
36	**कुम्भलगढ**	बनोकडा तालाब एवं नहर	**2.00**
37	**कुम्भलगढ**	केलवाडा तालाब की नहर	**2.00**
38	**कुम्भलगढ**	तलादरी तालाब एवं नहर	**2.00**
39	**कुम्भलगढ**	गोविल तालाब की नहर	**2.00**
40	**कुम्भलगढ**	थोरिया तालाब	**2.00**
		तहसील–गढबोर	
41	**गढबोर**	मेवाडिया तालाब	**2.00**
42	**गढबोर**	जवाहर सागर तालाब	**2.[illegible]**

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by A[illegible] Kumar Hasija
Designation : [illegible] & District Magistrate
Date: 2025.10.1[illegible]3:17:34 IST
Reason: Approved

43	गढबोर	जवालिया तालाब	2.00
44	गढबोर	धानीन साकरवाला	2.00
45	गढबोर	वांका तालाब	2.00
		तहसील–आमेट	
46	आमेट	लिकी ओल्ड तालाब	2.00
47	आमेट	लिकी न्यू तालाब	2.00
48	आमेट	भादला तालाब	2.00
49	आमेट	गोवलिया पिक अप वीयर तालाब	2.00
50	आमेट	टिक्कड़ तालाब	2.00
51	आमेट	गुगली की फूट तालाब	2.00
52	आमेट	पनोतिया तालाब	2.00
	योग		**103.00**

कुल कार्य– 52 कुल राशि–103.00 लाख (अक्षरे एक करोड़ तीन लाख रूपये मात्र)

कार्यकारी एजेन्सी तकनीकी स्वीकृति अतिशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें। ताकि वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकें। इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी करने के उपरान्त ही कार्य शुरू किया जाना सुनिश्चित करावें। उपरोक्त राशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रस्तावित नहरें/बांध पर किया जायें जिनका उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यो एवं जन सेवाओं के लिए निरन्तर किया जा रहा है।

नोट – कार्यकारी विभाग द्वारा निम्नांकित निर्देशों/शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

01. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एस0डी0आर0एफ0 नॉर्म्स अनुसार किया गया है, अतः उन दरो से अधिक राशि का उपयोग मरम्मत पर नहीं करे।
02. कार्यकारी विभाग द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि(एसडीआरएफ) के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
03. प्रस्ताव में उन्ही कार्यो की मरम्मत करवायी जावें जो अस्थाई मरम्मत द्वारा ठीक करायी जा सकती है।
04. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी कीमत एस.डी.आर.एफ. से देय नही है। जिन कार्यो की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु ठेकेदार या अन्य संस्था, एजेन्सी, प्राधिकारी उत्तरदायी है, उन कार्यो पर यह राशि व्यय नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जावे।

Validity unknownSignature valid
Digitally signed by A[illegible] Kumar Hasija
Designation : Colle[illegible] & District Magistrate
Date: 2025.10.1[illegible]3:17:34 IST
Reason: Approved

05. कार्यकारी विभाग यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।

06. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ. में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

07. कार्यकारी विभाग स्वीकृत कार्यो की अविलम्ब निविदा कर कार्य प्रारंभ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उदेश्य पूर्ण हो सके तथा कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में उपखण्ड स्तरीय समिति से कार्य का प्रमाणीकरण एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र व बिल दो प्रतियों में प्रमाणीकरण क` पश्चात अनिवार्यतः भिजवाये जावे। बिल मे विलम्ब होने पर भुगतान कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। **उक्त समस्त कार्यवाही वित वर्ष 2025–26 में ही किया जाना सुनिश्चित करे।**

08. कार्यकारी संस्था, उक्त कार्य राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता(आरटीपीपी) अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, सामान्य वित्तीय एव लेखा नियमों, व सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ, ग्रामीण कार्य निर्देशित के दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना की जानी सुनिश्चित करे एवं आपदा प्रबन्धन सहायता एवं ना.सु विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश एवं परिपत्रो के अनुसार कार्य किया जावे।

09. क्षतिग्रस्त कार्यो की मरम्मत हेतु किसी अन्य राज्य मद से स्वीकृति/बजट प्राप्त हुआ है तो उक्त कार्यो की मरम्मत एस.डी.आर.एफ. से आवंटित बजट से नहीं की जावे।

10. उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह प्रमाण पत्र भुगतान किये जाने से पूर्व जमा करावें कि कार्य एस.डी.आर.एफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।

11. प्रस्तावो मे दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एंवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियो से प्रमाणित करवाये जावे कि क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

12. स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे। स्वीकृत कार्यो के निरीक्षण/मूल्यांकन के निर्देशों के अनुरूप पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करे। कार्य प्रारम्भ से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि कार्य एवं व्यय सरकारी रीति–नीति अन्तर्गत व्यापक जनहित में है।

13. उक्त मरम्मत कार्य का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्न बजट मद से किया जायेगा–

2245 – प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02 – बाढ, चक्रवात आदि
122 – खराब सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यो की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(02) – (बाढ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता)
01 – (बाढ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता)
21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत व राज्य निधि 25 प्रतिशत)

जिला कलक्टर
(आ0प्र0 सहा. एवं ना0सु0 विभाग)
राजसमन्द

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by [illegible] Kumar Hasija
Designation : [illegible] & District Magistrate
Date: 2025.10.[illegible]:17:34 IST
Reason: Approved

क्रमांकः प.14(2082) बाढ/अतिवृष्टि/स्वी./सहा0/25/
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

01. श्रीमान शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
02. मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार बजट आवंटन करवाने का श्रम करावे।
03. जिला कोषाधिकारी, राजसमन्द
04. उपखण्ड़ अधिकारी, भीम/देवगढ/कुम्भलगढ/राजसमन्द/आमेट/नाथद्वारा।
05. अधिशाषी अभियन्ता राजसमन्द को भेजकर लेख है कि अतिशीघ्र कार्यकारी एजेन्सी के द्वारा तकनीकी स्वीकृति भिजवाना सुनिश्चित करावें।
06. अधिशाषी अभियन्ता/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता, जल संसाधन विभाग राजसमन्द/देवगढ/भीम/नाथद्वारा/आमेट/कुम्भलगढ।
09.जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमन्द

जिला कलक्टर
(आ0प्र0 सहा.एवं ना0सु0 विभाग)
राजसमन्द

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by A[illegible] Kumar Hasija
Designation : [illegible] & District Magistrate
Date: 2025.10.1[illegible]3:17:34 IST
Reason: Approved

Kai Ref No : 18406077